

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 64 / 2017

कर्ण सिंह पुत्र स्व. नानगराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
- रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 24.02.2017
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कर्णसिंह
मु.न. 08 / 2017, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थिति:-

1. श्री रफीक खान, एडवोकेट ----- अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट ----- रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 28.03.2018

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 24.02.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कर्णसिंह मु.न. 08 / 2017 अ.घा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि- अदालत मातहत ने अपीलार्थी को दिनांक 28.08.2017 को गलत तथ्यों एवं बिना किसी पूर्व जांच के गलत आधारों पर नोटिस दिया है। अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई है। नोटिस अ.घारा 91 अधिनियम 1956 की धारा के तहत जो दिया गया उस पर तामील कुनिन्दा ने जो रिपोर्ट दी है वह सी.पी.सी. के प्राक्कानों के विपरीत है। नोटिस की पुस्त पर जो हस्ताक्षर है वह व्यक्ति कौन है तथा अपीलार्थी से उसका क्या संबंध है अंकित नहीं किया है तथा ना ही सशपथ रिपोर्ट की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी की तामील को मानते हुए गलत रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलान्त को अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर ने तथाकथित रूप से अतिक्रमी माना है वह जगह अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम के स्वामित्व व अधिकार की रही। जो करीब 42 वर्षों से मकान बनाकर आबाद है अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम को तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा दिनांक 07.


अधि. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

12.1976 को एक पट्टा जारी किया जो 600 वर्गगज का जारी किया गया। जिसका तावान 30/-रूपये जमा कराकर जारी किया गया। उक्त पट्टे में तहसीलदार झुन्झुनू ने स्व. नानगराम के रिहायशी मकान अंकित किये है उक्त पट्टा भूमि गत खसरा नम्बर 111 वर्तमान खसरा नम्बर 12 में से दिया गया था। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उसके चार पुत्रों ने उक्त पट्टों शुदा भूमि में बने मकानात का आपस में बंटवारा कर अलग-अलग आबाद हुए। क्योंकि अपीलार्थी के पिता के पास तथा वर्तमान में अपीलार्थी के पास आवास के लिए कोई अन्य भूमि नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत ने बिना किसी आधारों के तथा मौके की जांच किये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम के व्यक्ति द्वारा तथ्य लिखकर शिकायत की थी। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर भी गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी काफी वर्षों से पुख्ता मकानात बनाकर बसा हुआ है। अदालत मातहत ने प्रकरण में पटवारी हल्का से विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं मांगी, पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नम्बर 12 में रकबा 360 वर्गमीटर भूमि पर अपीलार्थी को कब्जा पुख्ता मकानात बनाकर आबाद होना लिखा है। अदालत मातहत ने मनमाने तरीके से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए आलोच्य निर्णय पारित किये है। ग्राम राणासर में मौके पर भूमि खसरा नम्बर 12 के आस-पास आबादी बसी हुई है वर्तमान में आबादी विस्तार नहीं हुआ है, अपीलार्थी के पिता स्व. नानग को तत्कालीन तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा पुराना कब्जा तथा अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम के पास अन्य रिहायश हेतु भूमि नहीं होने से आवास मानकर पट्टा जारी किया था जिसमें अपीलार्थी मय परिवार आबाद है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय की गलत व्याख्या की है उक्त निर्णय मे माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि ऐसी भूमि जो तालाब की हो तथा ऐसा मार्ग जो जल संचय के काम में आता हो अथवा सार्वजनिक काम में आता हो ऐसी भूमि पर से बेदखल करना चाहिए लेकिन अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खसरा नम्बर 12 गै.मु. जोहड़ अंकित होने को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 12 में किसी भी प्रकार का तालाब नहीं है तथा ना ही चारागाह है। अदालत मातहत ने दिनांक 24.10.2017 को अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के बावजूद निर्णय पारित किया। इस प्रकार अदालत मातहत न अपीलार्थी को समूचित व जवाब देही का अवसर न प्रदान करत हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त है। निर्णय दिनांक 24.10.2017 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योंकि 24.10.2017 को अधिवक्ता

अधी. जिला कलेक्टर
हजूर

की प्रदेशव्यापी हड़ताल थी उस दिन अभिभाषकगण न्यायालय में कार्य नहीं कर रहे थे, इसलिए आगामी तारीख पेशी की जानकारी नहीं हुई। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 24.10.2017 को अपास्त फरमाया जाकर पत्रावली इस के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलार्थी को समुचित जवाब देही व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं मौके की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उमय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है, वह भूमि अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम के स्वामित्व व अधिकार की रही। जो करीब 42 वर्षों से मकान बनाकर आबाद है अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम को तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा दिनांक 07.12.1976 को एक पट्टा जारी किया जो 600 वर्गगज का जारी किय गया। जिसका तावान 30/-रूपये जमा कराकर जारी किया गया। उक्त पट्टे में तहसीलदार झुन्झुनू ने स्व. नानगराम के रिहायशी मकान अंकित किये है उक्त पट्टा भूमि गत खसरा नम्बर 111 वर्तमान खसरा नम्बर 12 में से दिया गया था। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उसके चार पुत्रों ने उक्त पट्टो शुदा भूमि में बने मकानात का आपस में बंटवारा कर अलग-अलग आबाद हुए। क्योंकि अपीलार्थी के पिता के पास तथा वर्तमान में अपीलार्थी के पास आवास के लिए कोई अन्य भूमि नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत ने बिना किसी आधारो के तथा मौके की जांच किये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम के व्यक्ति द्वारा तथ्य लिखकर शिकायत की थी। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर भी गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी काफी वर्षों से पुख्ता मकानात बनाकर बसा हुआ है। अदालत मातहत ने प्रकरण में पटवारी हल्का से विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं मांगी, पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नम्बर 12 में रकबा 360 वर्गमीटर भूमि पर अपीलार्थी को कब्जा पुख्ता मकानात बनाकर आबाद होना लिखा है। अदालत मातहत ने मनमाने तरीके से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए आलोच्य निर्णय पारित किय है। ग्राम राणासर में मौके पर भूमि खसरा नम्बर

अभि. जिला कलेक्टर
राणासर

12 के आस-पास आबादी बसी हुई है वर्तमान में आबादी विस्तार नहीं हुआ है, अपीलार्थी के पिता स्व. नानग को तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पुराना कब्जा तथा अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम के पास अन्य रिहायश हेतु भूमि नहीं होने से आवास मानकर पट्टा जारी किया था जिसमें अपीलार्थी मय परिवार आबाद है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय की गलत व्याख्या की है उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि ऐसी भूमि जो तालाब की हो तथा ऐसा मार्ग जो जल संचय के काम में आता हो अथवा सार्वजनिक काम में आता हो ऐसी भूमि पर से बेदखल करना चाहिए लेकिन अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खसरा नम्बर 12 गै.मु. जोहड़ अंकित होने को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 12 में किसी भी प्रकार का तालाब नहीं है तथा ना ही चारागाह है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि गैर मु0 जोहड़ पर अतिक्रमण किये जाने के कारण तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांत का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर वह अतिक्रमी नहीं बल्कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम के स्वामित्व व अधिकार की रही। जो करीब 42 वर्षों से मकान बनाकर आबाद है अपीलार्थी के पिता स्व. नानगराम को तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा दिनांक 07.12.1976 को 600 वर्गगज का पट्टा, तावान 30/- रुपये जमा कराकर जारी किया गया। उक्त पट्टे में तहसीलदार झुंझुनूं ने स्व. नानगराम के रिहायशी मकान अंकित किये है उक्त पट्टा भूमि गत खसरा नम्बर 111 वर्तमान खसरा नम्बर 12 में से दिया गया था। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उसके चार पुत्रों ने उक्त पट्टे शुदा भूमि में बने मकानात का आपस में बंटवारा कर अलग-अलग आबाद हुए। तत्कालीन तहसीलदार, झुंझुनूं द्वारा जारी पट्टे के आधार पर पक्के मकानात बनाकर वर्ष 1976 से लगातार काबिज है। मौके पर कोई जोहड़ स्थित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा जारी सनद दिनांक 07.12.1976 की फोटो प्रति पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय
नायब तहसीलदार
झुंझुनूं

नायब तहसीलदार ने अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे संबंध में अपने निर्णय में उक्त पट्टे को नहीं मानने के संबंध में कोई फाईन्डिंग नहीं दी। अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही भी तहसीलदार द्वारा ही की गई है और तथाकथित 600 वर्ग गज का पट्टा जो 30/-रूपये प्रीमियम पर जारी हुआ है। दोनों तहसीलदार द्वारा जारी हैं। मैंने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय एवं पत्रवली का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पट्टावारी की रिपोर्ट पर दो लाईन लिखकर अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय पारित कर, निर्णय की इतिश्री की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपने निर्णय में उक्त तथ्यों को नहीं मानने के संबंध में कोई फाईन्डिंग नहीं दी गई। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.2.2017 मु0न0 08/2017 उनवानी सरकार बनाम कर्णसिंह निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि तहसीलदार मलसीसर वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका एवं पट्टे के संबंध में सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन करते हुये एवं अपीलान्ट का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर की मिसल अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फंसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 ब्राह्मडिग)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 ब्राह्मडिग)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुझुनू